बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–6639 दिनांक–29.07.2025 के द्वारा श्री प्रिन्स अनुपम सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अंतर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य में निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी तथा विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, के आरोप में आरोप पत्र गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा गया। उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–4505 दिनांक–01.09.2025 द्वारा उक्त गठित आरोप पत्र की प्रति श्री सिंह को भेजते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक–5239 दिनांक–13.10.2025, पत्रांक–742 दिनांक–05.02.2026 द्वारा स्मारित किया गया। इसके बावजूद जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहा।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(5)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, मोतिहारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी/ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, मोतिहारी–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री प्रिन्स अनुपम सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
8/नि०को०(रा०)विभागीय–727/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–727/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, मोतिहारी ... पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

17/04/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...................................../ पटना, दिनांक :...............................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–727/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री प्रिन्स अनुपम सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...................................../ पटना, दिनांक :...............................

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–727/2025

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1975 / पटना, दिनांक : 17/04/26

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–727/2025

प्रतिलिपि :– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/~~आई॰~~ टी॰ मैंनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

17/04/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\ajit ranjan\Sankalp-prince anupam singh.doc

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 4505 / पटना, दिनांक 01/09/2025
08 / नि0को0(रा0)विभागीय –727 / 2025

प्रेषक,

कुमारी आरती,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री प्रिंस अनुपम सिंह
जिला सहकारिता पदाधकारी
पूर्वी चंपारण,मोतिहारी

विषयः– स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में|

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके विरुद्ध कार्यालय , निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 6639 दिनांक 29.07.2025 द्वारा निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी, विभागीय आदेशों का अनुपालन नही करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर भेजा गया है|

उक्त आरोपों के लिए आपके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2005 के नियम 17(3) के तहत आरोप पत्र गठित किया गया है।

अतः आरोप पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है की बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(4) के आलोक में आरोप पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ पर 15 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय|

अनुलग्नक– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

01/09/25
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

(44)

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 4505 / पटना, दिनांक 01/09/2025

08 / नि0को0(रा0)विभागीय –727 / 2025

प्रेषक,

कुमारी आरती,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री प्रिंस अनुपम सिंह
जिला सहकारेता पदाधकारी
पूर्वी चंपारण,मोतिहारी

विषयः– स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके विरुद्ध कार्यालय , निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 6639 दिनांक 29.07.2025 द्वारा निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी, विभागीय आदेशों का अनुपालन नही करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर भेजा गया है।

उक्त आरोपों के लिए आपके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2005 के नियम 17(3) के तहत आरोप पत्र गठित किया गया है।

अतः आरोप पत्र की छायाँ प्रति सलग्न करते हुए अनुरोध है की बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(4) के आलोक में आरोप पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
18/08/25
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट—1

आरोप—पत्र

(1) प्रथम भाग—सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम	:—	श्री प्रिंस अनुपम सिंह
2. पदनाम	:—	जिला सहकारिता पदाधिकारी
3. जन्म तिथि	:—	04.04.1995
4. सेवा निवृत्ति की तिथि	:—	30.04.2055
5. सेवा/संवर्ग का नाम	:—	बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग
6. पद समूह एवं विभाग	:—	ख/सहकारिता विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:—	49/2025
8. वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:—	लेवल—9
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:—	2024—25, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43(बी) के तहत कालबाधित होने की तिथि	:—	लागू नहीं।

28/8/25

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\D prasad(aarop patra)\Prince anupam singh\New folder (2)\(Annexe 1).doc

(2) द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी – खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापन अवधि में जिले में कुल 323 समितियों द्वारा 15022 किसानों से 151656.93 मे0टन धान की अधिप्राप्ति किया गया। समतुल्य चावल 102956.52 मे0टन के आलोक में विस्तारित अवधि दिनांक–24.07.2025 तक 92819.68 मे0टन चावल की आपूर्ति की गई है। 10136.85 मे0टन चावल की आपूर्ति किया जाना शेष है, जबकि चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक–10.08.2025 निर्धारित है। दिनांक–25.07.2025 के प्रतिवेदनानुसार अवशेष दिनों के लिए पूर्वी चम्पारण जिले का दैनिक लक्ष्य 596.29 मे0टन के आलोक में दिनांक–21.07.2025 को 308.81 मे0टन, दिनांक–22.07.2025 को 373.28 मे0टन, दिनांक–23.07.2025 को 201.20 मे0टन एवं दिनांक–24.07.2025 को 86.14 मे0टन चावल की आपूर्ति की गई है, जो दैनिक लक्ष्य से काफी कम है।

   दिनांक–10.07.2025 तक आपके जिले में कुल अवशेष चावल 14990.70 मे0टन के आलोक में 4853.85 मे0टन चावल की आपूर्ति विगत दो सप्ताह में की गई है, जो अवशेष आपूर्ति का मात्र 32 प्रतिशत है।

   इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य के आलोक में आपके जिले में चावल की दैनिक आपूर्ति समितियों द्वारा नहीं की जा रही है। उक्त कृत से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समितियों का निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

2. विभागीय आदेशें का अनुपालन नहीं करना :– कार्यालय पत्रांक–1635 दिनांक–20.02.2025, पत्रांक–2571 दिनांक–19.03.2025, पत्रांक–3137 दिनांक–07.04.2025, पत्रांक–3953 दिनांक–07.05.2025, पत्रांक–4064 दिनांक–09.05.2025, पत्रांक–4618 दिनांक–27.05.2025, पत्रांक–5819 दिनांक–04.07.2025, पत्रांक –6166 दिनांक–15.07.2025 एवं दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने हेतु दिए गए निदेशों के बावजूद भी चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है।

3. आरोपी का उपरोक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

ह0/-
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\D prasad(aaron patra)\Prince anupam singh\New folder (2)\Annexe 2).doc

(3) तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4501 दिनांक–09.10.2024 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में विकेन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति की कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका निर्गत है एवं उक्त मार्गदर्शिका के आलोक में अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल की आपूर्ति निर्धारित अवधि अन्तर्गत किया जाना है। कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका के कंडिका–11(I) एवं कंडिका–2(XXVI) में उल्लेखित है कि फोर्टिफाईड चावल की शतप्रतिशत मात्रा प्राप्त कर निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम को जमा कराना है। साथ ही, उक्त पत्र में जिला सहकारिता पदाधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि धान/चावल अधिप्राप्ति का सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। कुल 323 समितियों द्वारा 15022 किसानों से 151656.93 मे0टन धान की अधिप्राप्ति किया गया। समतुल्य चावल 102956.52 मे0टन के आलोक में विस्तारित अवधि दिनांक–24.07.2025 तक 92819.68 मे0टन चावल की आपूर्ति की गई है। 10136.85 मे0टन चावल की आपूर्ति किया जाना शेष है, जबकि चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक–10.08.2025 निर्धारित है। दिनांक–25.07.2025 के प्रतिवेदनानुसार अवशेष दिनों के लिए पूर्वी चम्पारण जिले का दैनिक लक्ष्य 596.29 मे0टन के आलोक में दिनांक–21.07.2025 को 308.81 मे0टन, दिनांक–22.07.2025 को 373.26 मे0टन, दिनांक–23.07.2025 को 201.20 मे0टन एवं दिनांक–24.07.2025 को 86.14 मे0टन चावल की आपूर्ति की गई है, जो दैनिक लक्ष्य से काफी कम है।

दिनांक–10.07.2025 तक आपके जिले मे कुल अवशेष चावल 14990.70 मे0टन के आलोक मे 4853.85 मे0टन चावल की आपूर्ति विगत दो सप्ताह में की गई है, जो अवशेष आपूर्ति का मात्र 32 प्रतिशत है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य के आलोक में आपके जिले मे चावल की दैनिक आपूर्ति समितियों द्वारा नहीं की जा रही हैं। उक्त कृत से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समितियो का निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

2. विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करना :– कार्यालय पत्रांक–1635 दिनांक– 20.02.2025, पत्रांक–2571 दिनांक–19.03.2025, पत्रांक–3137 दिनांक–07.04.2025, पत्रांक–3953 दिनांक–07.05.2025, पत्रांक–4064 दिनांक–09.05.2025, पत्रांक–4618 दिनांक–27.05.2025, पत्रांक–5819 दिनांक–04.07.2025, पत्रांक –6166 दिनांक–15.07.2025 द्वारा ससमय चावल आपूर्ति एवं चावल आपूर्ति में प्रगति लाने हेतु स्पष्टीकरण किया गया था, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब भी अब तक नही दिया गया है और न ही चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लायी गयी है।

दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने हेतु दिए गए निदेशों के बावजुद भी चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है।

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

(4) चतुर्थ भाग – (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	दिनांक–25.07.2025 का चावल आपूर्ति का दैनिक प्रतिवेदन।	कुल–01 पृष्ठ
2.	कार्यालय पत्रांक–1635 दिनांक–20.02.2025, पत्रांक–2571 दिनांक–19.03.2025, पत्रांक–3137 दिनांक–07.04.2025, पत्रांक–3953 दिनांक –07.05.2025, पत्रांक–4064 दिनांक–09.05.2025, पत्रांक–4618 दिनांक–27.05.2025, पत्रांक–5819 दिनांक–04.07.2025, पत्रांक–6166 दिनांक–15.07.2025	कुल–08 पृष्ठ
3.	धान अधिप्राप्ति 2024–25 की मार्गदर्शिका एवं चावल आपूर्ति के विस्तारित अवधि की अधिसूचना।	कुल–017 पृष्ठ
4.	कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना के पत्रांक–6639 दिनांक–29.07.2025	कुल–01 पृष्ठ

28/7/25

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\D prasad(aaron patra)\Prince anupam singh\New folder (2)\Annexe 4).doc

(39)

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक ..../पटना, दिनांक ....

04/13-03, खरीफ 2024-25/ 10/2025

प्रेषक,

रास बिहारी उपाध्याय,
अवर सचिव,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- **खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति में वांछित प्रगति नहीं होने के कारण जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध प्रपत्र-क गठन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति में वांछित प्रगति नहीं होने के कारण निम्नांकित जिला सहकारिता पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र-क गठित किया गया है :-

क्र.सं.	जिला सहकारिता पदाधिकारी का नाम	जिला
1	श्री श्यामानन्द ठाकुर	वैशाली
2	श्री प्रिंस अनुपम सिंह	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
3	श्री शशि कान्त शशि	कैमूर

अतः उपरोक्त जिला सहकारिता पदाधिकारियों के विरूद्ध गठित प्रपत्र-क इस पत्र के साथ मूल में अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक-यथोक्त।

(रास बिहारी उपाध्याय)
अवर सचिव,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

04/08/2025

(38)

परिशिष्ट–1

आरोप–पत्र प्रपत्र–क

(1) प्रथम भाग– सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनायें :–

1. नाम	श्री प्रिंस अनुपम
2. पदनाम	जिला सहकारिता पदाधिकारी
3. जन्म तिथि	04.04.1995
4. सेवा निवृति तिथि	30.04.2055
5. सेवा/संवर्ग का नाम	बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा
6. पद समूह एवं विभाग	'क'/सहकारिता विभाग
7. वरीयता क्रम /सिविल लिस्ट क्रमांक	49/25
8. वेतन बैंड एवं नेट पे/ वेतन स्तर	9
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	2024–25 जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण
10. बिहार पेंशन नियमावली 'क' नियम 43 (B) के तहत कालबाधित होने की तिथि	लागू नही

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

(37)

(ख) द्वितीय भाग– कदाचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापन अवधि में जिले में कुल 323 समितियों द्वारा 15022 किसानों से 151656.93 मे०टन धान की अधिप्राप्ति किया गया। समतुल्य चावल 102956.52 मे०टन के आलोक में विस्तारित अवधि दिनांक 24.07.2025 तक 92819.68 मे०टन चावल की आपूर्ति की गई है। 10136.85 मे०टन चावल की आपूर्ति किया जाना शेष है, जबकि चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक 10.08.2025 निर्धारित है। दिनांक 25.07.2025 के प्रतिवेदनानुसार अवशेष दिनों के लिए पूर्वी चम्पारण जिले का दैनिक लक्ष्य 596.29 मे०टन के आलोक में दिनांक 21.07.2025 को 308.81 मे०टन, दिनांक 22.07.2025 को 373.28 मे०टन, दिनांक 23.07.2025 को 201.20 मे०टन एवं दिनांक 24.07.2025 को 86.14 मे०टन चावल की आपूर्ति की गई है, जो दैनिक लक्ष्य से काफी कम है।

   - दिनांक 10.07.2025 तक आपके जिले में कुल अवशेष चावल 14990.70 मे०टन के आलोक में 4853.85 मे०टन चावल की आपूर्ति विगत दो सप्ताह में की गई है, जो अवशेष आपूर्ति का मात्र 32 प्रतिशत है।

   इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य के आलोक में आपके जिले में चावल की दैनिक आपूर्ति समितियों द्वारा नही की जा रही है। उक्त कृत से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समितियों का निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नही किया जा रहा है।

2. **विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करना** :– कार्यालय पत्रांक 1635 दिनांक 20.02.2025, पत्रांक 2571 दिनांक 19.03.2025, पत्रांक 3137 दिनांक 07.04.2025, पत्रांक 3953 दिनांक 07.05.2025, पत्रांक 4064 दिनांक 09.05.2025, पत्रांक 4618 दिनांक 27.05.2025, पत्रांक 5819 दिनांक 04.07.2025, पत्रांक 6166 दिनांक 15.07.2025 एवं दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने हेतु दिए गए निदेशों के बावजुद भी चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति नही हो पा रही है।

3. आरोपी का उपरोक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

(3) तृतीय भाग– कदाचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4501 दिनांक 09.10.2024 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति की कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका निर्गत है एवं उक्त मार्गदशिका के आलोक में अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल की आपूर्ति निर्धारित अवधि अन्तर्गत किया जाना है। कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका के कडिका–11 (i) एवं कंडिका–2(XXVI) में उल्लेखित है कि फोटिफाईड चावल की शतप्रतिशत मात्रा प्राप्त कर निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम को जमा कराना है। साथ ही, उक्त पत्र में जिला सहकारिता पदाधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि धान/चावल अधिप्राप्ति का सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। कुल 323 समितियों द्वारा 15022 किसानों से 151656.93 मे०टन धान की अधिप्राप्ति किया गया। समतुल्य चावल 102956.52 मे०टन के आलोक में विस्तारित अवधि दिनांक 24.07.2025 तक 92819.68 मे०टन चावल की आपूर्ति की गई है। 10136.85 मे०टन चावल की आपूर्ति किया जाना शेष है, जबकि चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक 10.08.2025 निर्धारित है। दिनांक 25.07.2025 के प्रतिवेदनानुसार अवशेष दिनों के लिए पूर्वी चम्पारण जिले का लक्ष्य 596.29 मे०टन के आलोक में दिनांक 21.07.2025 को 308.81 मे०टन, दिनांक 22.07.2025 को 373.28 मे०टन, दिनांक 23.07.2025 को 201.20 मे०टन एवं दिनांक 24.07.2025 को 86.14 मे०टन चावल की आपूर्ति की गई है, जो दैनिक लक्ष्य से काफी कम है।

   - दिनांक 10.07.2025 तक आपके जिले में कुल अवशेष चावल 14990.70 मे०टन के आलोक मे 4853.85 मे०टन चावल की आपूर्ति विगत दो सप्ताह में की गई है, जो अवशेष आपूर्ति का मात्र 32 प्रतिशत है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य के आलोक में आपके जिले में चावल की दैनिक आपूर्ति समितियों द्वारा नही की जा रही है। उक्त कृत से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समितियों का निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नही किया जा रहा है।

2. विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करना :—

- कार्यालय पत्रांक 1635 दिनांक 20.02.2025, पत्रांक 2571 दिनांक 19.03.2025, पत्रांक 3137 दिनांक 07.04.2025, पत्रांक 3953 दिनांक 07.05.2025, पत्रांक 4064 दिनांक 09. 05.2025, पत्रांक 4618 दिनांक 27.05.2025, पत्रांक 5819 दिनांक 04.07.2025, पत्रांक 6166 दिनांक 15.07.2025 द्वारा ससमय चावल आपूर्ति एवं चावल आपूर्ति में प्रगति लाने हेतु स्पष्टीकरण किया गया था, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव भी अब तक नही दिया गया है और न ही चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लायी गयी है।
- दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेंस बैठक में चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने हेतु लगातार दिए गए निदेशों के बावजुद भी चावल आपूर्ति में वांछित प्रगति नही हो पा रही है।

निबंधक
सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।

(4) चतुर्थ भाग– (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्रमांक	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	दिनांक 25.07.2025 का चावल आपूर्ति का दैनिक प्रतिवेदन।	कुल–1 पृष्ठ
2.	कार्यालय पत्रांक 1635 दिनांक 20.02.2025, पत्रांक 2571 दिनांक 19.03.2025, पत्रांक 3137 दिनांक 07.04.2025, पत्रांक 3953 दिनांक 07.05.2025, पत्रांक 4064 दिनांक 09.05.2025, पत्रांक 4618 दिनांक 27.05.2025, पत्रांक 5819 दिनांक 04.07.2025, पत्रांक 6166 दिनांक 15.07.2025	कुल–8 पृष्ठ
3.	धान अधिप्राप्ति 2024–25 की मार्गदर्शिका एवं चावल आपूर्ति के विस्तारित अवधि की अधिसूचना	कुल–17 पृष्ठ

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

(37)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र010/ख0वि0अधि0–05/2024 4504 खाद्य, पटना/दिनांक– 09/10/2024

प्रेषक,

डॉ0 एन0 सरवण कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत धान/फोर्टीफायड चावल (अधिकतम उसना फोर्टीफायड चावल) अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शिका के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय अधिसूचना संख्या–4500 दिनांक–09.10.2023

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 में धान/फोर्टीफायड चावल (अधिकतम उसना फोर्टीफायड चावल) अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01 नवम्बर, 2024 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 में राज्य के पंजीकृत किसानों से ही धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी या बिचौलिए की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो ।

अतः अनुरोध है कि खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 हेतु तैयार मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किसानों से लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

अनु0– यथोक्त ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–05/2024 4501 खाद्य, पटना/दिनांक–09/10/2024
प्रतिलिपि– सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–05/2024 4502 खाद्य, पटना/दिनांक–09/10/2024
प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–05/2024 4503 खाद्य, पटना/दिनांक–09/10/2024
प्रतिलिपि– सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु

मार्गदर्शिका

राज्य में धान की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (Decentralised Procurement-DCP) के अंतर्गत सम्पन्न की जानी है। तद्आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मे0टन माना जाय तथा अधिक से अधिक किसाना से उनके उत्पादित धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जाए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्त धान की मिलिंग पंजीकृत, जिला टास्क फोर्स से चयनित एवं सम्बद्ध गैर प्रमादी मिल के साथ एकरारनामा कर निर्धारित गुणवत्ता/मानक के अनुकूल फोर्टीफायड चावल नोडल एजेंसी के निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराया जाएगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम फोर्टीफायड चावल मिल से प्राप्त कर संग्रहण केन्द्र में जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अग्रिम फोर्टीफायड चावल जमा करने के पश्चात् पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा में धान की आपूर्ति की जाएगी। प्राप्त अग्रिम फोर्टीफायड चावल के विरुद्ध ही पैक्स/व्यापार मण्डल द्वारा मिल को धान की आपूर्ति की जाएगी। उक्त प्राप्त फोर्टीफायड चावल का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत नोडल एजेंसी होगी। पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदण्ड को पूरा कर तैयार किए गए Online Procurement System आधारित होगी। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा उन्हीं निबंधित किसानों से धान क्रय किया जाएगा, जो कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित हो एवं उनके द्वारा भूमि संबंधी विवरण Upload किया गया हो।

अधिप्राप्ति संबंधी सभी कार्रवाई यथा किसान निबंधन, किसानों से धान का क्रय, भुगतान संबंधी विपत्र/एडमाईस समितियों द्वारा मिलरों को धान का प्रेषण, ट्रक चालान, पैक्स द्वारा मिलर से फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति एवं फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र पर फोर्टीफायड चावल का प्रेषण, स्वीकृत्यादेश (Acceptance Order), स्वीकृति सह विश्लेषण प्रतिवेदन (Acceptance cum Analysis Report), क्रय सह भुगतान अभिलेख (Purchase cum Payment Voucher), भुगतान आदेश (Payment Advice), बैंक सलाह सूची का निर्माण Online ही सम्पन्न होगा। Online निर्गत विभिन्न आदेशों की हस्ताक्षरित प्रति का ही उपयोग विभिन्न आनुसंगिक कार्य हेतु किया जाएगा। अधिप्राप्ति से सम्बन्धित सभी प्रकार का भुगतान Online निर्गत भुगतान आदेश के आलोक में PFMS के माध्यम से होगा। PFMS के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा।

चुँकि सारी प्रक्रिया Online सम्पन्न होना है, ऐसी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि को esahkari.bih.nic.in पर प्रदर्शित अधिप्राप्ति संबंधी विवरण मान्य होगा एवं भारत सरकार द्वारा निर्मित Central Food Procurement Portal (CFPP) पर सभी सूचनाएँ Real Time पर भौतिक सत्यापन आधारित Upload होगी।

जिलावार धान अधिप्राप्ति तथा अधिप्राप्ति के समतुल्य फोर्टीफायड अरवा एवं फोर्टीफायड उसना चावल अधिप्राप्ति का लक्ष्य अलग से संसूचित किया जायेगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती करने वाले किसानों से धान की अधिप्राप्ति एवं पैक्सों और व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर

(32)

फोर्टीफायड चावल नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्राप्त कराने की अवधि संबंधी विवरणी निम्न प्रकार होगी :–

1	साधारण धान	2300/– रू0 प्रति क्वींटल	
2	धान (ग्रेड–'ए')	2320/– रू0 प्रति क्वींटल	
3	धान अधिप्राप्ति की अवधि	1. दिनांकः–01.11.2024 से 15.02.2025 तक	कोशी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में
		2. दिनांक 15.11.2024 से 15.02.2025 तक	राज्य के शेष जिलों में।
4	फोर्टीफायड चावल प्राप्ति की अवधि *	दिनांक 01.11.2024 से 15.06.2025 तक	

*पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा 15.06.2025 तक अधिप्राप्ति धान के विरुद्ध फोर्टीफायड चावल बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

2. <u>अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ</u>

i. इच्छुक किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar. gov.in पर निबंधित एवं भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित (Upload) किए जाने के पश्चात्, उन किसानों से धान का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा बायोमेट्रीक सत्यापन के माध्यम से किया जा सकेगा।

ii. रैयती किसानों के लिए – कृषि विभाग के पोर्टल_www.dbtagriculture.bihar. gov.in पर निबंधित रैयती किसानों से निबंधन संख्या के आधार पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा प्रति रैयती किसान अधिकतम 250 क्वी0 धान की अधिप्राप्ति कराई जाएगी।

iii. गैर--रैयती किसानों के लिए – गैर–रैयती किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात् उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् System Generated स्वघोषणा–पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उसके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या उस क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य या उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अधिकतम प्रति गैर रैयती किसान 100 क्वी0 धान की अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कराई जाएगी।

iv. प्रारंभ में ज्यादा से ज्यादा किसानों को अधिप्राप्ति का लाभ पहुँचाने एवं चालू मौसम में कृषि कार्य में उन्हें आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा।

v. धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा मोबाईल एप (ePACS Bihar Grains) का निर्माण किया गया है। पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष द्वारा इस मोबाईल एप के माध्यम से निबंधित एवं भूमि संबंधी सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की प्रदर्शित सूची के आधार पर निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाएगी।

vi. राज्य में गठित सभी अंकेक्षित एवं चयनित पैक्स/व्यापार मंडल जिनका नाम कालीसूची में दर्ज नहीं हो, को क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील बनाया जाएगा। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ इसकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगा ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।

vii. क्रय किये गये धान के मूल्य के लिए किसानों को सहकारी बैंक के एडवाईस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घन्टों के अन्दर भुगतान की व्यवस्था नामित खातों में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का बकाया नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अन्य खाते में या नकद भुगतान किया जाएगा।

viii. लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में फोर्टीफायड चावल का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के समतुल्य फोर्टीफायड चावल पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिंग यूनिट अधिष्ठापित मिल जो पजीकृत और गैर प्रमादी हो तथा मिलिंग हेतु आवश्यक सुविधाओं यथा स्टोनर, डबल पॉलिसर, सॉर्टेक्स एवं ग्रेडर की व्यवस्था से सुसज्जित हो तथा जिला टास्क फोर्स द्वारा गठित दल द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित कराया गया हो, के माध्यम से फोर्टीफायड सी0एम0आर0 तैयार कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप जाँच में सही पाए जाने पर उक्त फोर्टीफायड चावल का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाएगा। इसके लिए सी0एम0आर0 गोदाम पर प्रतिनियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्राप्त सी0एम0आर0 की गुणवत्ता की नियमानुसार जॉच सुनिश्चित करेंगे।

ix. किसी भी परिस्थिति में ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिंग यूनिट अधिष्ठापित किए बिना चावल मिलरों का निबंधन/सम्बद्धता नहीं की जाएगी। प्रत्येक चावल मिल के निबंधन के लिए उसका विद्युत संयोजन अनिवार्य होगा और मिलों की माहवार विद्युत खपत की सूचना विद्युत वितरण कंपनियों से ऑन–लाईन प्राप्त की जाएगी, जो API के माध्यम से ई–सहकारी पोर्टल पर स्वतः दर्ज होगी और पुनः API के माध्यम से CFPP पोर्टल पर भेजी जाएगी। इस कार्य की निगरानी सहकारिता विभाग के द्वारा की जायेगी।

x. मिलों से एकरारनामा सहकारिता विभाग द्वारा संसूचित विहित प्रपत्र में ही किया जाएगा।

xi. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारन्टी के रूप में अग्रिम फोर्टीफायड चावल सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र में प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त अग्रिम फोर्टीफायड चावल के समानुपातिक अधिप्राप्त धान मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुनः धान के समानुपातिक फोर्टीफायड चावल प्राप्त करने के पश्चात् समतुल्य धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जाएगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलरों के पास न रहे। इस प्रकार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा चक्रानुक्रम में मिलिंग कराया जाएगा।

xii. जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान की मिलिंग का कार्य पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स के द्वारा अनुमोदित अगल–बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर कराया जाएगा।

xiii. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिलों से मिलिंग कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप जॉचोपरान्त फोर्टीफायड चावल निगम द्वारा संचालित विभिन्न चावल संग्रह केन्द्रों पर जमा किया जाएगा।

xiv. खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 से भारत सरकार द्वारा धान एवं चावल के परिवहन करने वाले वाहनों का वाहन पोर्टल पर निबंधन, सत्यापन तथा जी0पी0एस0 ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाया गया है। तदनुसार सभी पैक्स/व्यापार मंडल धान/चावल का परिवहन करने वाले वाहनों के निबंधन संबंधी आँकड़े राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसका सत्यापन परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑन–लाईन किया जाएगा। मात्र जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही धान एवं चावल की ढुलाई की जायेगी। जी0पी0एस0 युक्त वाहनों की व्यवस्था पैक्सों के द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी और इसे ससमय उपलब्ध कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के Vechicle Tracking System (V.T.S) पर की जाएगी। साथ ही, API के माध्यम से भारत सरकार के CFPP पोर्टल पर भेजी जाएगी।

xv. सभी मिलरों को धान मिलिंग के क्रम में माहवार विद्युत खपत, सम्बद्ध पैक्सों/व्यापार मंडलों से लॉटवार धान की मात्रा एवं उनके गोदाम में उपलब्ध धान की मात्रा तथा लॉटवार सी0एम0आर0 जमा किये जाने से संबंधित सूचना राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जानां आवश्यक होगा जिसे API के माध्यम से CFPP पोर्टल पर भेजी जायेगी। इस कार्य की निगरानी जिला टास्क फोर्स के माध्यम से ज़िला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(30)

xvi. धान मिलिंग हेतु पैक्स/व्यापार मंडल से सभी सम्बद्ध मिलरों को मिलिंग क्षमता के साथ अनिवार्य रू से राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर निबंधित होना होगा, जो CFPP (Central Food Procurement Portal) के सा एकीकृत होगी।

xvii. खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 के लिए भारत सरकार के द्वारा Minimum Threshold Para meters (MTP) को भी पूरा करने का निदेश दिया गया है, जिसके तहत किसानों से आधार आधारित धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित किया जाना है। आधार आधारित अधिप्राप्ति के अनुपालन हेतु सहकारिता विभाग क्रय केन्द्रों पर किसानों के आधार सत्यापन (बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन) के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

xviii. पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल State Food Procurement Portal (SFPP) एवं CFPP पोर्टल पर प्रदर्शित फोर्टीफायड चावल की मात्रा के आधार पर विधिवत् जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

xix. CFPP (Central Food Procurement Portal) एवं SFPP (State Food Procurement Portal) अर्थात ई–सहकारी पोर्टल पर डाटा की भिन्नता को रोकने के लिए भौतिक सत्यापन आधारित क्रय को ही CFPP पोर्टल पर Forward किया जाएगा।

xx. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है। ऐसी स्थिति में खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर समतुल्य फोर्टीफायड चावल गुणवत्ता की जॉचोपरान्त जमा नही किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष/प्रशासक/व्यापार मंडल/राईस मिल को अविलंब चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई यथा Certificate Case बगैरह की जाएगी। साथ ही ऐसे पैक्स/व्यापार मंडल/राईस मिल को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

xxi. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा वायदा आधारित (Future trade based) धान के क्रय की अनुमति नहीं होगी एवं यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित धान या फोर्टीफायड चावल की मात्रा ऑन–लाईन प्रतिवेदित नही की जाएगी।

xxii. भारत सरकार के द्वारा पत्र संख्या 40-4/2020-QCC दिनांक 16.07.2021 के द्वारा धान अधिप्राप्ति तथा फोर्टीफायड चावल अधिप्राप्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार धान/फोर्टीफायड चावल की गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय जाँचदल से Periodic inspection तथा Surprise inspection की व्यवस्था लागू की गई है। भारत सरकार के स्तर से इस संदर्भ में निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 में धान/फोर्टीफायड चावल के गुणवत्ता तथा निरीक्षण कार्य को सम्पन्न किया जाएगा।

xxiii. ऐसी स्थिति में सहकारिता विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का यह दायित्व होगा कि पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ–साथ चावल मिलरों के गोदामों एवं फोर्टीफायड चावल गोदामों का प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए एवं परिलक्षित त्रुटियों का ससमय निवारण करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण धान/फोर्टीफायड चावल अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

xxiv. भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2018–19 एवं उसके पश्चात् धान/फोर्टीफायड चावल की अधिप्राप्ति के लिए गन्नी बैग का उपयोग एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में Usage charges को भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देश निर्गत है, जिसमें किसानों से अधिप्राप्त धान को 50 किलो क्षमता के गन्नी बैग में अधिकतम 40 किलो धान की मात्रा भरकर पैक्स/मिलरों के गोदामों में विधिपूर्वक संधारित करने का प्रावधान है। साथ ही आवश्यकतानुसार भारत सरकार की अनुमति से गन्नी बैग के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप Usage charges को प्राप्त करने के लिए सभी निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा कर तद्नुरूप प्रमाण–पत्र समर्पित किए जाने के पश्चात् भारत सरकार से इस मद में वांछित राशि विमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध करने का प्रावधान है। अतः अनुपालन हेतु किसानों द्वारा अधिप्राप्त धान को एक बार उपयोग किए गए गन्नी बैग में अधिकतम 40 किलो की मात्रा भरकर पैक्स/मिलरों के गोदामों में विधिपूर्वक संधारित किया जाएगा, ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बहुस्तरीय जाँच के क्रम में अधिप्राप्त धान/फोर्टीफायड चावल की मात्रा को प्रतिवेदित धान/फोर्टीफायड चावल की मात्रा के आलोक में जाँच की जा सके।

xxv. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करेगा कि फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नही हो सके। खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में यदि जूट आयुक्त, कोलकाता के द्वारा ससमय नये गन्नी बैग्स की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा एक बार प्रयोग किये गये गन्नी बैग का क्रय करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यकतानुसार क्रय कर गन्नी बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

xxvi. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऑन–लाईन प्रतिवेदित अधिप्राप्त धान की मात्रा के आलोक में गोदामों का भौतिक सत्यापन कराकर समतुल्य विहित गुणवत्ता के अनुरूप फोर्टीफायड चावल की शत–प्रतिशत मात्रा मिलरों से प्राप्त करते हुए निर्धारित समय–सीमा तक फोर्टीफायड चावल गोदामों में जमा कर तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

xxvii. विकेन्द्रीकृत धान अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल में अद्यतन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् Online सम्पन्न किया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक दिन अधिप्राप्त धान तथा फोर्टीफायड चावल की मात्रा को राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल (SFPP) पर अपलोड कर केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल CFPP पोर्टल पर प्रसारण (Transmission) बाध्यकारी होगा। साथ ही उक्त से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रति FCI के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

xxviii. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रों पर लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वी0 फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति की जाएगी।

3. <u>जिला स्तरीय प्रबंध</u>

i. जिला पदाधिकारी द्वारा सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से स्वतत्र एक वरीय पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनित किया जाएगा।

ii. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाए :–

A. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>

i. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य 30 लाख मे0टन फोर्टीफायड चावल (45 लाख मे0टन धान) को अंतिम सीमा नही माना जाए एवं राज्य के पैक्सी/पैक्स-पैक्सी किसानों से उनके लिए निर्धारित मात्रा अंतर्गत अधिक से अधिक अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित किया जाए।

ii. जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार/पंचायतवार अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित की जाएगी, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।

iii. पैक्सवार/व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी, के द्वारा जिला अंतर्गत धान उत्पादन को वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक नहीं हो।

iv. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करते हुए अधिसूचित की जाएगी, ताकि पैक्सों को फोर्टीफायड चावल जमा करने में कठिनाई न हो। इस कार्य हेतु निगम के पास उपलब्ध बड़े गोदामों को चिन्हित कर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

B. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण</u>

i. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत किसानों से धान क्रय हेतु मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा एक–एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में राईस

(28)

मिल के परिसर में धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों का निर्धारण नही किया जाएगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है।

ii. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल हेतु निर्धारित क्रय केन्द्र की पूर्ण विवरणी, यथा क्रय केन्द्र की अवस्थिति, गोदाम की भंडारण क्षमता (कवर्ड एवं कैप के साथ) अधिसूचित की जाएगी। साथ ही सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसकी मैपिंग अधिप्राप्ति पोर्टल पर की जाएगी एवं PCSAP पोर्टल पर सभी पैक्सों/व्यापार मंडलों के माध्यम से वांछित सभी सूचनाओं को प्रविष्ट कराने का कार्य पूर्ण किया जायेगा। विभाग स्तर पर इसके अनुश्रवण का दायित्व सहकारिता विभाग के नोडल पदाधिकारी का होगा।

iii. सहकारिता विभाग के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला अंतर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई है :–

- ❖ क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान में नमी की अनुमान्य प्रतिशत मात्रा एवं अन्य गुणवत्ता तथा क्रय केन्द्र से संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर का बैनर/दीवार अभिलेखन।
- ❖ क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- ❖ कच्चा फर्श होने की स्थिति में खाद्यान्न डालने/रखने के निमित्त तिरपाल की व्यवस्था।
- ❖ किसानों को प्रतीक्षा हेतु टेन्ट की व्यवस्था।
- ❖ अस्थायी भण्डारण सुविधा यथा सड़क/सीमेंन्टेड/पक्का फर्श तिरपाल से ढका हुआ की व्यवस्था।
- ❖ लेन–देन रिकार्ड हेतु विहित प्रक्रिया के अनुरूप रजिस्टर की व्यवस्था।
- ❖ बायोमेट्रीक डिवाईस का संधारण।
- ❖ माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
- ❖ Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
- ❖ Blower/Drier की आवश्यकतानुसार व्यवस्था।
- ❖ किसानों के आधार आधारित अधिप्राप्ति के लिए सत्यापन हेतु आवश्यक उपकरण।
- ❖ प्रति दिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची वेबसाईट/पैक्स/व्यापारमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
- ❖ पर्याप्त रोशनी/विद्युत संपर्कता की व्यवस्था।
- ❖ माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- ❖ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था।
- ❖ केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- ❖ विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- ❖ किसानों को PFMS के माध्यम से 48 घंटों के अन्दर भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।

iv. भारत सरकार के पत्र संख्या 9(2)/2023-PY.I दिनांक 15.07.2024 के द्वारा मानक अधिप्राप्ति केन्द्र के रूप में पैक्स एवं व्यापार मंडल के धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :–

- ❖ भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दंड के अनुरूप गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था एवं डनेज(dunnage) मटेरियल की उपलब्धता।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
- ❖ घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
- ❖ कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
- ❖ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।
- ❖ अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था।
- ❖ सुरक्षा की व्यवस्था।

- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।

v. सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि जिलों में उपर्युक्त तैयारियों के साथ माह 01 नवम्बर 2024 तथा 15 नवम्बर, 2024 से क्रमवार निर्धारित धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के अनुरूप उन क्षेत्रों के सभी क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाए।

vi. अधिप्राप्ति अवधि (दिनांक 15.02.2025 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम प्रतिवेदन राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल (SFPP) एवं केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल (CFPP) पर प्रदर्शित ऑकड़ों के आलोक में भौतिक सत्यापनोपरान्त समेकित कराकर अंतिम प्रतिवेदन अधिकतम दिनांक 28.02.2025 तक सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगें। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

vii. चूँकि अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है। ऐसी स्थिति में दिनांक 15.02.2025 को esahkari.bih.nic.in पर प्रदर्शित धान क्रय की मात्रा खरीफ विपणन मौसम 2024–25 के लिए मान्य होगा।

यदि भौतिक सत्यापन में क्रय केन्द्र पर कम मात्रा पाया जाता है तो संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिला पदाधिकारी यथोचित निर्णय लेंगें एवं जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायेंगें।

viii. चूँकि अधिप्राप्ति का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है, जिसमें गोदामों में भण्डारित अवशेष भी प्रदर्शित होगा, ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करेंगें।

ix. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा फोर्टीफायड चावल का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम फोर्टीफायड चावल गोदाम में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फोर्टीफायड चावल की आपूर्ति की जाएगी।

x. फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रो पर फोर्टीफायड चावल प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होंगे :–

- ★ फोर्टीफायड चावल लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वीं0 फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति किया जाएगा।
- ★ प्रत्येक फोर्टीफायड चावल प्रभारी द्वारा पैक्सवार प्रति लॉट प्राप्त चावल की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा ।
- ★ फोर्टीफायड चावल प्राप्ति की सारी कार्रवाई ऑनलाईन सम्पन्न की जायेगी।
- ★ फोर्टीफायड चावल के निर्गमन में "प्रथम आगत–प्रथम निर्गत" सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

C. भंडारण की व्यवस्था

i. अधिप्राप्त धान एवं फोर्टीफायड चावल के भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम का पूर्ण विवरण यथा गोदाम का नाम, गोदाम की अवस्थिति, भण्डारण क्षमता, Covered/Uncovered के साथ क्रमशः जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पैक्स द्वारा प्रयुक्त गोदामों की मैपिंग की जवाबदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं चावल संग्रह केन्द्रों के लिए अधिसूचित गोदामों के मैपिंग की जवाबदेही जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी।

ii. धान/फोर्टीफायड चावल के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार क्रमशः पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किराये पर गोदाम लिया जा सकेगा।

iii. जिला पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोंदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम

(26)

को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्र पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

iv. अधिप्राप्त धान/फोर्टीफायड चावल का भण्डारण नियमानुसार Stack Wise संधारित करने की अनिवार्यता होगी, जिससे भौतिक सत्यापन के क्रम में भण्डारित धान/ फोर्टीफायड चावल की मात्रा का सत्यापन किया जा सके।

D. परिवहन की व्यवस्था

i. अधिप्राप्ति कार्य में जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही धान एवं चावल की ढुलाई की जायेगी। जी0पी0एस0 युक्त वाहनों की व्यवस्था पैक्सों के द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी और इसे ससमय उपलब्ध कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

E. मिलिंग की व्यवस्था

i. जिला टास्कफोर्स द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत मिलों से वैसे मिल जो गैर प्रमादी हों और जिनके मिलों में ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिग यूनिट अधिष्ठापित हो, साथ ही स्टोनर, डबल पॉलिसर, ग्रेडर, सॉर्टेक्स एवं मिलिंग हेतु अन्य सुविधायें उपलब्ध हो का चयन किया जाएगा एवं दूरी को मद्देनजर पैक्स/व्यापार मंडल के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। मिलों को सम्बद्ध किये जाने के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कही प्रमादी मिलरों द्वारा नाम परिवर्तित कर पंजीकरण तो नहीं किया गया है। मिलिंग की सम्बद्धता पैक्स/व्यापार मंडल की पसन्द से नहीं की जाएगी।

ii. चावल तैयार किये जाने के लिए मिलरों को धान आवंटन उनके वार्षिक मिलिंग क्षमता के केवल 75 प्रतिशत तक ही किया जाएगा।

iii. मिलरों को पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त माहवार धान की मात्रा को राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही अधिप्राप्त धान की मिलिंग तीन महीने के भीतर उस समतुल्य चावल राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराना अनिवार्य होगा।

iv. जिला टास्क फोर्स द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों से उन मिलरों को सम्बद्ध नहीं किया जाएगा, जिनके द्वारा विगत वर्षो में धान की मिलिंग में विलंब किया जाता हो या जिनके द्वारा उपलब्ध कराए गए चावल गुणवत्ता युक्त नहीं होने के कारण गुणवत्ता जाँच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/संयुक्त जाँच दल द्वारा Reject (खारिज) किया गया हो।

v. पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा जिला टास्कफोर्स से चयनित ऑनलाईन पंजीकृत गैर प्रमादी मिलर के साथ एकरारनामा कर अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर अधिसूचित फोर्टीफायड चावल गोदाम पर शत–प्रतिशत फोर्टीफायड चावल विहित प्रक्रिया के अनुरूप जाँचोपरान्त लॉट वार (290 क्वीं0 प्रति लॉट) जमा कराया जाएगा। मिलिंग हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा मिलरों को धान की आपूर्ति मिलरों से प्राप्त फोर्टीफायड चावल के समतुल्य ही की जाएगी और यह प्रक्रिया चक्रानुक्रम में जारी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलरों को नहीं दी जायेगी। इसे जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

vi. खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 में धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु निबंधित मिलों का सत्यापन तीव्र गति से हो, इसके लिए जिला टास्क फोर्स द्वारा एक से अधिक जिला स्तरीय टीम गठित कर सत्यापन कराया जा सकता है, ताकि ससमय समितियों के साथ मिलों का टैंगिग कराते हुए चावल अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए।

vii. जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत–प्रतिशत कुट्टाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान की मिलिंग का कार्य पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल–बगल के जिलों में गैर प्रमादी पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर कराया

(25)

जाएगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा अधिकतम उसना फोर्टीफायड चावल मिलों की ही टैगिंग की जाएगी।

viii. वैसे पैक्स जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ मिलर का भी कार्य करते है, द्वारा संचालित राईस मिलरों को अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु प्राधिकृत किये जाने के पूर्व यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि टी0पी0डी0एस0 हेतु प्राप्त खाद्यान्न एवं धान की कुटाई से प्राप्त फोर्टीफायड चावल का भण्डारण पृथक गोदामों में संधारित हो। साथ ही पैक्स द्वारा संधारित जन वितरण गोदामों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं फोर्टीफायड चावल गोदामों को जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा माह में एक बार उक्त गोदामों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

ix. एकरारनामित मिलर को उनके द्वारा जमा अग्रिम फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध सम्बद्ध पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र से आनुपातिक रुप में धान प्राप्त कराया जायेगा एवं इस संदर्भ में ट्रक चालान (RT-Note) पैक्स/व्यापार मंडल जारी करेगा।

x. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय धान के विरूद्ध ही मिलरों से अग्रिम फोर्टीफायड चावल जाँचोपरान्त प्राप्त किया जायेगा। साथ ही प्राप्त फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध तीन दिनों के अंदर मिलरों को समानुपातिक धान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

xi. भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भण्डारित अधिप्राप्ति धान/फोर्टीफायड चावल की गुणवत्ता, भण्डारण एवं प्रबंधन की क्रमशः Periodic inspection तथा Surprise inspection समय-समय पर की जाएगी, जिसके आलोक में प्रतिवेदित धान/फोर्टीफायड चावल की मात्रा को ही स्वीकार किया जाएगा।

F. **इसके अतिरिक्त मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी :-**

i. वैसे प्रमादी मिलर जो गत वर्षो में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं परन्तु अवशेष सी0एम0आर0 के समतुल्य राशि सभी प्रकार के देयता सहित बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्त धान की कुटाई हेतु सत्यापनोपरान्त एकरारनामा के पात्र होगें।

ii. वैसे मिलर जो प्रमादी हों, जिनके विरूद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत् कार्रवाई लम्बित हो, अथवा राशि वसूली हेतु किसी न्यायालय में मामला लम्बित हो / Arbitration में मामला चल रहा हो वो मिलिंग हेतु एकरारनामा के पात्र नहीं होंगें।

iii. मिलों के चयन के पूर्व जिला के जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नामित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। मिलों के चयन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों, यथा मिल मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल मालिक के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति तथा अद्यतन बिजली बिल का भुगतान एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण प्रमाण पत्र, विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न एवं अद्यतन प्रमाण पत्र, GST No., SSI Registration No., EPF Registration No., PAN, मिलरों की अंकेक्षित अद्यतन लेखा विवरणी, वैसे सभी वांछित अभिलेख जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित मिलरों के विरूद्ध कोई Legal Obligation न हो, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता के अतिरिक्त चावल मिलों में ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिंग यूनिट, स्टोनर, डबल पॉलिसर, सॉर्टेक्स एवं ग्रेडर की व्यवस्था का व्यावहारिक आकलन किया जाएगा। इस क्रम में विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं किया जाएगा। संयुक्त जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित मिलों का फोटोग्राफ एवं मैपिंग (अक्षांश/देशान्तर) भी उपलब्ध रहे। तत्पश्चात जिला टास्क फोर्स द्वारा मिलरों का चयन किया जाएगा।

iv. पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा पंजीकृत चयनित मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि संबंधित मिल की मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम फोर्टीफायड चावल प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिप्राप्त धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उपलब्ध करायी जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

v. उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार Short Listed किये गये पंजीकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक के उपरांत Short Listed मिल के मालिकों से ही पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा धान कुटाई हेतु एकरारनामा करने की कारवाई की जाएगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों के साथ मिलरों की सम्बद्धता करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाए कि क्रय केन्द्रों से मिलों की दूरी न्यूनतम एवं Location सही हो।

vi. सभी संबद्ध पैक्स/व्यापार मंडल संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग के पदाधिकारी/जिला के पदाधिकारी की मोबाईल संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

vii. प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा है एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुँचाया जाए।

viii. मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी/सहकारिता विभाग के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार फोर्टीफायड चावल को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता के जाँचोपरान्त पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के फोर्टीफायड चावल गोदाम में भेजें।

ix. मिल से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के फोर्टीफायड चावल गोदाम में फोर्टीफायड चावल पहुँचाने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था वाहन क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स/व्यापार मंडल से सम्बद्ध मिलरों की दूरी के अनुरूप परिवहन क्षमता की व्यवस्था हो।

x. पैक्स/व्यापार मंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि धान एवं फोर्टीफायड चावल परिवहन में प्रयुक्त वाहन जी0पी0एस0 युक्त हो।

xi. पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प की व्यवस्था की जाए।

xii. सभी एकरारनामित मिल राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल (SPPP) से सम्बद्ध रहेंगे।

4. धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात

i. रैयती किसानों के लिए – रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर खतित भूमि संबंधी सूचनाओं को ऑन–लाईन अपलोड किए जाने के पश्चात् फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।

ii. गैर रैयती किसानों के लिए – गैर रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अपलोड करने के पश्चात् System Generated स्वघोषणा--पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उसके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या उस क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य या उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।

iii. क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान का क्रय करने के क्रम में पंजीकृत किसानों तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी सूचनाओं को अपलोड किए जाने की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा आधार सत्यापनोपरान्त किसानों द्वारा समर्पित स्वतःजनित प्रमाण–पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में धान की अधिप्राप्ति की जाएगी।

iv. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। साथ ही धान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच की जाएगी।

v. पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा तैयार फोर्टीफायड चावल का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित फोर्टीफायड चावल गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत Acceptance Order के आधार पर किया जाएगा।

5. भुगतान की व्यवस्था

i. अधिप्राप्ति संबंधी सभी प्रकार का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।

ii. किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित (Future trade based) कोई भी धान या फोर्टीफायड चावल की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जाएगा।

iii. किसान को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसपर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से किसान को दी जाएगी। किसानों को उनके खाते में धान की समतुल्य राशि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित सहकारी बैंको के खातों से सहकारी समूहों द्वारा निर्गत एडवाईस के आलोक में वांछित राशि प्राप्त कर PFMS के माध्यम से अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर अंतरित की जाएगी एवं राशि अन्तरण की सूचना SMS से दी जाएगी।

iv. पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान का पैक्स द्वारा मिलरों को निर्गत आर0टी0नोट की प्रति (प्रथम/अग्रिम फोर्टीफायड चावल छोड़कर) धान/फोर्टीफायड चावल संबधित आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि की विधिवत् राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा के जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 3 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित की जाएगी।

6. पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था :–

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण धान/फोर्टीफायड चावल की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा नई मानक संचालक प्रक्रिया निर्गत की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी जिला पदाधिकारी धान अधिप्राप्ति के दौरान पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण हेतु निम्नांकित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे :–

i. फोर्टीफायड चावल संग्रहण हेतु निर्धारित गोदामों के पर्यवेक्षण के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया जाएगा, जो फोर्टीफायड चावल गोदामों पर गुणवत्तापूर्ण फोर्टीफायड चावल अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराएगी। जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल के द्वारा जिला अंतर्गत निर्धारित फोर्टीफायड चावल गोदामों का प्रत्येक माह भ्रमण कर गुणवत्ता के जाँचोपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

ii. भण्डारण हेतु जिला अंतर्गत चिह्नित गोदामों में मिलवार भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जाँच के क्रम में परिलक्षित गड़बड़ी के आलोक मे दोषी चावल मिलरों/कर्मियों की पहचान स्पष्ट हो।

iii. भारत सरकार/भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा नियमित अंतराल पर धान अधिप्राप्ति का निरीक्षण तथा भारत सरकार के स्तर से अधिप्राप्ति कार्यक्रम के औचक निरीक्षण के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जाँच दल को प्रत्येक स्तर पर सहायता प्रदान किया जाएगा।

iv. भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया में BRL (Beyond Rejection Limit) चावल के संबंध में दिशा–निर्देश दिया गया है। खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 में जिला स्तर से गठित जाँच दल/संयुक्त जाँच दल/औचक निरीक्षण के क्रम में गोदामों में भण्डारित चावल की गुणवत्ता जाँच के दौरान Beyond Rejection Limit पाई जाती है, तो संबंधित स्टॉक के बदले FAQ (Fair Average Quality) चावल जमा करने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल बाध्य होगा, जो उनके अपने जोखिम पर बदला जाएगा एवं बदले हुए स्टॉक को विहित जाँचोपरान्त प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत चिह्नित BRL स्टॉक को FAQ (Fair Average Quality) स्टॉक में बदलने तथा सत्यापन/प्रमाणन की पूरी कार्रवाई 06 सप्ताह के अंदर पूरी की जाएगी।

v. जिला स्तरीय/संयुक्त जाँच दल स्तरीय औचक निरीक्षण के क्रम में यदि फोर्टीफायड चावल गोदामों में मानव उपभोग हेतु वर्जित/अयोग्य चावल संधारित पाया जाता है, तो इस प्रकार के चावल को अयोग्य घोषित करते हुए संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल को चिह्नित कर पूरी मात्रा की भरपाई समतुल्य FAQ (Fair Average

Quality) चावल प्राप्त कर की जाएगी तथा अयोग्य घोषित चावल का निस्तार संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल के खर्च पर किया जाएगा।

7. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों(पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।

जिला पदाधिकारी की भूमिका

i. जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर समानुपातिक मात्रा में शत प्रतिशत फोर्टीफायड चावल हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।

ii. क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर धान अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

iii. जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।

iv. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी सी0एम0आर0 गोदामों पर गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन गुणवत्ता नियंत्रकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्राप्त सी0एम0आर0 की गुणवत्ता की नियमानुसार जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

v. बिहार राज्य खाद्य निगम के अनुरोध पर फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।

vi. मिलिंग हेतु अधिप्राप्ति के लिए निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया में प्रावधानित अग्रिम चावल के समतुल्य अधिकतम अनुमान्य धान की मात्रा से अधिक आपूर्ति पर रोक का प्रभावी अनुश्रवण किया जाए।

8. जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ

i. अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगें।

ii. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी के अधीन होगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति एवं फोर्टीफायड चावल प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ-साथ जिला स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आपेक्षित कार्रवाई गुणात्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगें।

9. पुलिस अधीक्षक की भूमिका

क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

10. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भूमिका

i. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उनके नामित खातों में PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटे के अंदर सहकारी बैंक के एडवाईस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार सहकारी संगठनों को एडवाइस तथा राशि का संसूचन एवं हस्तांतरण करना होगा।

ii. मिलरों को FRK की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना तथा FRK के गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करना।

iii. जिलों में आवश्यकतानुसार अधिसूचित फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र एवं अतिरिक्त फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र की स्थापना, कार्मिक की प्रतिनियुक्ति एवं चावल संग्रहण केन्द्रों को 01 नवम्बर तथा 15 नवम्बर, 2024 से क्रियाशील करना।

iv. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय धान के समानुपातिक संबद्ध मिलरों द्वारा तैयार फोर्टीफायड चावल की जॉचोपरान्त क्रय केन्द्र पर जमा करने हेतु Acceptance Order निर्गत करना। स्वीकृति आदेश (Acceptance Order) के निर्गमन में FIFO (First In First Out) का अनुपालन करना। Acceptance Order निर्गत होने के प्रावधानित तीन दिनों के अंदर सी0एम0आर0 नहीं गिराने पर अधिकतम एक सप्ताह का समय देकर उसे

निरस्त/निष्क्रिय करना। मिलरों के स्तर से प्राप्त होने वाले Acceptance Order के क्रम में ही STR/Truck Challan निर्गत करना। जिला टास्क फोर्स से चयनित सभी पैक्सों/व्यापार मंडलों को पहला Acceptance Order निर्गत होने के बाद अगला Acceptance Order उनके द्वारा सी0एम0आर0 जमा कराये जाने के क्रम में निर्गत करना।

v. पैक्सों/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त धान के विरूद्ध समानुपातिक फोर्टीफायड चावल निगम के फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रों पर जॉचोपरान्त प्राप्त करना।

vi. चावल की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित करना।

vii. प्रतिदिन पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये फोर्टीफायड चावल से संबंधित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।

viii. पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम का अधिप्राप्ति वर्षवार लेखा का अंकेक्षण कराना।

ix. अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

x. नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पैक्स/व्यापारमंडल से अग्रिम फोर्टीफायड चावल प्राप्त कर विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार अंतः जिला एवं अन्तर जिला TPDS में उसके उपयोग का प्रबंधन करेगी।

xi. पैक्स/व्यापार मंडल को तैयार फोर्टीफायड चावल उपलब्ध कराने हेतु प्रति क्वींटल नया दो गन्नी बैग की व्यवस्था करना।

xii. जूट आयुक्त द्वारा पर्याप्त मात्रा में नया गन्नी बैग उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में भारत सरकार से एक बार उपयोग किये गये गन्नी बैग का क्रय अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में क्रय करने की कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा।

xiii. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम को अधिक सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।

xiv. धान अधिप्राप्ति के समापन की सतत समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समयसीमा में प्राप्त करना। खरीफ विपणन मौसम 2024–25 के समापन के उपरान्त गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

<u>11. सहकारिता विभाग की भूमिका</u>

i. जिला स्तर पर संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगें।

ii. राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल की संख्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने वाले किसानों की संख्या, अधिप्राप्त धान की मात्रा तथा अधिप्राप्त धान के एवज में किसानों को भुगतान की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि से संबंधित सूचना, राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो CFPP पोर्टल से एकीकृत होगी।

iii. किसी भी दिन की दैनिक लेन–देन का विवरण राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल एवं केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल (CFPP) पर ऑटो –सिन्क्रोनाइजेशन के माध्यम से अगले दिन सुबह 06 बजे से पहले CFPP पोर्टल पर प्रसारित करेंगे।

iv. यदि पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर किसानों से धान समय नहीं लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

v. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत सिर्फ अंकेक्षित एवं गैर प्रमादी पैक्स/व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।

vi. चूँकि किसानों से कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकृत एवं ऑन–लाईन समर्पित भूमि संबंधी सूचनाओं के आधार पर धान अधिप्राप्ति का दायित्व सहकारिता विभाग को सौपा गया है, इसलिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा के डाटा-बेस के आधार पर

पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।

vii. क्रय केन्द्र पर धान की प्राप्ति, क्रय केन्द्र पर संचालित विभिन्न कार्य, मिलिंग कराने एवं संग्रहण केन्द्र पर फोर्टीफायड चावल उपलब्ध कराने तक के लिए परिवहन एवं हथालन का व्यय नियमानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाएगा।

viii. सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पैक्सों/व्यापार मंडल को पर्याप्त नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) अविलम्ब उपलब्ध हो। इस संबंध में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना को निदेश है कि समितियों को ससमय पर्याप्त कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध हो, इस हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ix. पैक्स/व्यापार मंडल का दायित्व है कि सहकारी बैंको से प्राप्त कैश–क्रेडिट लिमिट अंतर्गत ही उनके द्वारा ऑन–लाईन एडवाईस जेनरेट कर उतनी ही राशि राज्य खाद्य निगम के जिले में अवस्थित बैंक के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

x. अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन करना तथा चयनित क्रय केन्द्रों पर आधार आधारित अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना।

xi. गत वर्ष में अक्रियाशील वैसे पैक्स/व्यापार मंडलों जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाए, को खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधि सम्मत कार्रवाई करना ताकि सभी पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।

xii. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिलावार लक्ष्यांकित कुल धान को एकरारनामित मिल में कुटाई (मिलिंग) कराके निगम के अधिसूचित फोर्टीफायड चावल गोदाम केन्द्र पर क्रय धान के समतुल्य सिर्फ फोर्टीफायड चावल उपलब्ध करायेंगें।

xiii. पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जाँच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात समतुल्य राशि का अंतरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित सहकारी बैंक के खातों में सुनिश्चित करने के अतिरिक्त पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अवशेष भंडार की सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों, यथा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।

xiv. मिलिंग हेतु अधिप्राप्ति के लिए निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया मे प्रावधानित अग्रिम धान की आपूर्ति पर रोक का प्रभावी अनुश्रवण करना।

xv. अग्रिम चावल की आपूर्ति होते ही पैक्सों/व्यापार मंडलों के द्वारा प्रावधानित तीन दिनों के अन्दर समतुल्य धान की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

xvi. पैक्सों/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।

xvii. पैक्स/व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जाएगा।

xviii. पैक्स/व्यापार मंडल को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के खाते से किसानों को तत्काल PFMS से ऑनलाईन भुगतान हो सके।

xix. जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।

xx. पैक्स अध्यक्षों/व्यापार मंडल के प्रबंधकों/प्रशासकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।

xxi. वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं है, वहाँ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ।

xxii. अधिप्राप्ति की सभी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है। ऐसी स्थिति में अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15.02.2025 को esahkari.bih.nic.in पर प्रदर्शित क्रय की मात्रा अंतिम रुप से मान्य होगा।

xxiii जिला पदाधिकारी 10 दिनों के अन्दर क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन करांते हुए अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें।

xxiv. यदि राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा एवं भौतिक सत्यापन में पैक्स/व्यापार मंडलवार कोई अंतर आता है तो जिला पदाधिकारी अंतर के बिन्दु पर अंतिम रुप से निर्णय लेंगें। यदि अंतर के कारण में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर होता है तो इस संबंध में जबावदेही निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं निबंधक सहयोग समितियाँ को उपलब्ध करायेगें।

xxv. किसी भी पैक्स/व्यापार मंडल पर निर्वाचन आदि के कारण प्रबंध समिति की अनुपलब्धता की स्थिति में ससमय प्रशासक की नियुक्ति करना, जिससे की अधिप्राप्ति कार्यक्रम प्रभावित न हो।

12. खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग की भूमिका

i. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।

ii. नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।

iii. बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि का प्रबंध करने में सहयोग करना।

iv. अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित नीतिगत हस्तक्षेप।

13. जिलों के प्रभारी सचिव की भूमिका

i. प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं मुख्य सचिव, विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

14. प्रमण्डलीय आयुक्त की भूमिका

i. अधिप्राप्ति कार्य की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा।

ii. अपने स्तर से जाँच दल गठित कर अधीनस्थ जिलों में अधिप्राप्ति कार्य का औचक निरीक्षण कराते रहना।

iii. प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना।

15. स्थानान्तरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध

i. सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नही किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी धान अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही विरमित होंगे।

ii. अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

चूँकि धान अधिप्राप्ति सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की distress sale की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

09/10/24

सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0 ---------- पटना, दिनांक –

खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में चावल (सी0एम0आर0) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.06.2025 निर्धारित की गयी थी। उक्त तिथि तक अधिप्राप्त धान के समतुल्य पूर्ण मात्रा में चावल प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में कुल अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल प्राप्त करने की अवधि निम्न शर्तों पर दिनांक–10.08.2025 तक विस्तारित की गयी है :–

"State Government and FCI are requested to take necessary steps to check recycling of rice, if any. A system of monitoring may be instiuted at field level by FCI to monitor the delivery of balance CMR, mill wise as per planned schedule to be obtained from State Government Agencies in writing. Age test may also be conducted at the time of rice delivery as per the protocol to be devised by FCI."

2. भारत सरकार के पत्रांक–3(8)/2024-Py.I (387547) दिनांक–10.07.2025 द्वारा दी गयी अनुमति के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल प्राप्त किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक–15.06.2025 को दिनांक–10.08.2025 तक विस्तारित की जाती है ।

3. विस्तारित अवधि में प्राप्त किये जानेवाले चावल (सी0एम0आर0) की विशेष जाँच जिला प्रशासन, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना एवं सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के स्तर से करायी जाएगी ।

4. खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 हेतु निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 4500 दिनांक 09.10.2024 तथा विभागीय पत्र संख्या 4501 दिनांक 09.10.2024 द्वारा निर्गत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/07/2025

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र010– ख0वि0अधि0 –05/2024 1465 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –प्र010– ख0वि0अधि0 –05/2024– 1465 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि –सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना /मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति/मुख्य महाप्रबंधक, वित्त, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –प्र010/ख0वि0अधि0–05/2024– 1465 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/ख0वि0अधि0–05/2024– 1465 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 6075. /पटना, दिनांक 14.07.2025.

04/नि. अधि. (धान/चावल 2024–25 विविध)–11/2024

प्रतिलिपि :–निदेशानुसार, सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त कार्ययोजना एवं मार्ग–निदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में चना, मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराई जाए।

14/07/25

(अमर कुमार झा)
उप निबंधक (ईख),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति का अंतिम प्रतिवेदन

(मात्रा मे.टन में)

क्र. सं.	जिला का नाम	क्रियाशील समितियों की संख्या	किसानों की संख्या	जिला पदाधिकारी द्वारा सत्यापित धान अधिप्राप्ति की अंतिम मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	191	11512	101988.64	
2	अरवल	61	9562	73103.82	
3	औरंगाबाद	189	22227	237346.22	
4	बाँका	175	18111	159058.56	
5	बेगूसराय	103	3374	15986.34	
6	भागलपुर	118	6698	42196.37	
7	भोजपुर	190	15109	169151.34	
8	बक्सर	111	7678	83923.52	
9	दरभंगा	182	5867	41365.99	
10	पूर्वी चम्पारण	323	15022	151656.93	
11	गया	317	27860	193047.06	
12	गोपालगंज	210	6989	52891.67	
13	जमुई	155	7765	71327.97	
14	जहानाबाद	87	11147	64619.17	
15	कैमूर	146	17349	207868.97	
16	कटिहार	163	6812	54081.92	
17	खगड़िया	89	4473	34375.05	
18	किशनगंज	123	10196	94924.07	
19	लखीसराय	65	9044	75423.67	
20	मधेपुरा	157	14777	107418.01	
21	मधुबनी	270	9943	71814.16	
22	मुंगेर	60	7528	56747.87	
23	मुजफ्फरपुर	278	9967	87718.76	
24	नालंदा	217	22029	175057.00	
25	नवादा	180	13168	107254.04	
26	पटना	265	27417	189631.87	
27	पूर्णियाँ	214	9416	75288.44	
28	रोहतास	240	31499	359450.98	
29	सहरसा	123	8490	56647.15	
30	समस्तीपुर	303	11682	98770.88	
31	सारण	267	14264	111848.59	
32	शेखपुरा	46	5067	39052.63	
33	शिवहर	48	2551	20823.21	
34	सीतामढ़ी	207	8617	58938.51	
35	सीवान	257	13632	97337.43	
36	सुपौल	179	18935	130988.25	
37	वैशाली	171	6023	39633.10	
38	पं0 चम्पारण	252	11164	113832.55	
	Total	6732	462964	3922590.71	

5-07-2025

खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत चावल आपूर्ति का दैनिक लक्ष्य का प्रतिवेदन

(मात्रा मे.टन में)

जिला का नाम	चावल आपूर्ति का लक्ष्य	दिनांक 10.07.2025 तक आपूर्ति की गई चावल की मात्रा	अवशेष दिनों हेतु चावल आपूर्ति की मात्रा (3–4)	दिनांक 24.07.2025 तक आपूर्ति की गई चावल की मात्रा	अवशेष चावल की मात्रा (3–6)	कुल आपूर्ति का प्रतिशत	विगत दो सप्ताह मे आपूर्ति की गई चावल की मात्रा (6–4)	विगत दो सप्ताह में आपूर्ति की गई चावल का प्रतिशत	अवशेष दिनों हेतु दैनिक लक्ष्य	विगत चार दिनों का दैनिक आपूर्ति			
										21-07-25	22-07-25	23-07-25	24-07-25
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AURANGABAD	161036.30	127816.74	33219.56	138938.32	22097.99	86.28	11121.58	33	1299.88	631.69	593.76	931.10	746.54
NALANDA	118958.34	92770.52	26187.82	102380.48	16577.86	86.06	9609.96	37	975.17	490.76	520.66	488.12	631.69
ROHTAS	243422.22	216637.23	26784.99	227474.99	15947.23	93.45	10837.76	40	938.07	573.80	923.23	401.02	644.49
KAIMUR	140901.35	118445.69	22455.66	126340.42	14560.93	89.67	7894.72	35	856.53	528.32	478.65	198.58	348.84
NAWADA	72910.65	55296.73	17613.92	60281.49	12629.16	82.68	4984.76	28	742.89	200.99	315.84	191.11	299.78
SIWAN	66005.33	47477.34	18527.99	53494.22	12511.11	81.05	6016.88	32	735.95	447.32	269.03	435.81	453.44
SARAN	75440.53	57694.27	17746.26	63088.90	12351.63	83.63	5394.63	30	726.57	114.85	469.25	402.36	360.19
GAYA	131164.33	114958.22	16206.11	119879.31	11285.02	91.40	4921.10	30	663.82	309.26	382.67	192.44	143.57
BHOJPUR	114835.52	94072.09	20763.43	103836.83	10998.70	90.42	9764.74	47	646.98	538.95	602.97	420.31	401.98
ARARIA	69169.42	53352.69	15816.73	58457.37	10712.06	84.51	5104.68	32	630.12	401.98	200.99	243.44	430.70
E CHAMPARAN	102956.52	87965.82	14990.70	92819.68	10136.85	90.15	4853.85	32	596.29	308.81	373.27	201.20	86.14
PATNA	128770.33	110615.97	18154.36	119817.09	8953.24	93.05	9201.12	51	526.66	495.89	578.89	413.21	667.86
ARWAL	49461.05	35064.54	14396.51	41164.72	8296.33	83.23	6100.18	42	488.02	594.83	459.41	371.50	401.98
W CHAMPARAN	77391.82	64811.07	12580.75	69433.70	7958.12	89.72	4622.62	37	468.12	285.74	495.55	91.05	270.88
SAMASTIPUR	67129.95	53336.89	13793.06	59410.60	7719.35	88.50	6073.71	44	454.08	442.96	522.80	413.72	360.13
LAKHISARAI	51152.58	39185.06	11967.53	43572.38	7580.20	85.18	4387.33	37	445.89	262.37	401.98	172.28	172.28
MADHEPURA	73009.22	62662.92	10346.30	65438.55	7570.67	89.63	2775.63	27	445.33	359.95	144.85	275.50	229.70
SUPAUL	88970.80	76761.08	12209.73	81482.80	7488.00	91.58	4721.73	39	440.47	273.84	195.60	143.57	117.01
BANKA	108040.79	94294.42	13746.37	100689.06	7351.73	93.20	6394.64	47	432.45	309.10	351.94	344.56	251.37
MUZAFFARPUR	59642.02	50385.42	9256.60	53424.55	6217.47	89.58	3039.12	33	365.73	114.85	124.71	287.13	124.92
JAMUI	48453.80	37909.02	10544.78	42503.37	5950.43	87.72	4594.35	44	350.03	430.20	257.48	257.31	187.26
BUXAR	56939.15	47542.23	9396.93	51120.42	5818.73	89.78	3578.20	38	342.28	307.77	200.99	287.13	229.70
VAISHALI	26825.15	19477.31	7347.84	21239.83	5585.32	79.18	1762.52	24	328.55	143.57	138.45	143.57	143.57
MADHUBANI	48806.70	41744.53	7062.17	43648.39	5158.31	89.43	1903.86	27	303.43	86.14	172.53	85.97	172.28
KATIHAR	36720.15	29918.42	6801.73	32184.31	4535.64	87.65	2266.09	33	266.80	255.46	86.24	287.76	143.57
SITAMARHI	40004.17	34246.87	5757.30	35521.55	4482.62	88.79	1274.68	22	263.68	172.28	114.85	229.91	116.38
JEHANABAD	43880.40	36291.41	7588.99	39474.89	4405.51	89.96	3183.48	42	259.15	179.78	28.71	57.43	344.56
SHEIKHPURA	26498.18	20636.36	5861.82	22383.13	4114.85	84.47	1746.97	30	242.05	57.43	172.28	86.14	114.85
MUNGER	38563.17	31117.06	7446.11	34453.40	4109.77	89.34	3336.34	45	241.75	114.85	258.42	167.54	172.28
KISHANGANJ	64387.84	59000.44	5387.40	60472.09	3915.75	93.92	1471.66	27	230.34	86.14	143.57	134.50	86.14
KHAGARIA	23149.39	17972.08	5177.31	19403.72	3745.67	83.82	1431.64	28	220.33	86.14	57.43	59.87	200.89
DARBHANGA	28046.72	21716.66	6330.06	24654.76	3391.96	87.91	2938.11	46	199.53	200.99	200.99	229.70	129.40
PURNIA	51148.96	44481.88	6667.08	47920.61	3228.35	93.69	3438.73	52	189.90	229.70	123.51	212.69	126.60
SAHARSA	38494.21	33361.59	5132.62	35349.06	3145.15	91.83	1987.47	39	185.01	111.91	161.86	77.87	120.09
OHAR	14139.97	9870.07	4269.91	11301.98	2838.00	79.93	1431.91	34	166.94	57.43	122.54	143.57	28.71	
GA	35792.59	31997.77	3794.82	32991.14	2801.45	92.17	993.37	26	164.79	60.03	28.71	114.85	114.85
UR	28610.19	25710.57	2899.62	26973.51	1636.58	94.28	1263.03	44	96.27	52.73	28.71	114.81	68.59
	10863.27	9766.47	1096.80	10296.24	567.03	94.78	529.77	48	33.35	0.00	0.00	58.40	0.00
	26,61,693.08	22,06,365.44	4,55,327.64	23,73,318.32	2,88,374.76	89.17	1,66,952.89	36.67	16963.22	10318.81	10708	9367.03	9643.21

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 4618. /पटना, दिनांक 27.05.2025.

04/नि. अधि. (धान/चावल 2024–25 विविध)–10/2024

प्रेषक,

इनायत खान भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत चावल (CMR) आपूर्ति में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नही होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में अधिप्राप्त धान 39.22 लाख मे.टन के समतुल्य 26.61 लाख मे.टन CMR (चावल) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को निर्धारित अंतिम तिथि 15 जून 2025 तक किया जाना है। दिनांक 27.05.2025 तक मात्र 19.81 लाख मे.टन चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की गई है, जो लक्ष्य का 74.5% है, जबकि माह मई तक 90% चावल (CMR) की आपूर्ति किया जाना है। प्रखंडवार एवं समितिवार चावल (CMR) आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्यान्तर्गत 439 समितियों में 10 लॉट से अधिक चावल (CMR) बकाया है, जिनमें से निम्न समितियों में 30 लॉट से अधिक चावल (CMR) बकाया है :–

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अवशेष लॉट की संख्या
1	Aurangabad	Barun	BHOPATPUR	51.77
2	Nalanda	Ben	EKSARA	47.32
3	Aurangabad	Rafiganj	ITAR	41.63
4	Bhojpur	Jagdishpur	SIYARUWA	40.62
5	Aurangabad	Daudnagar	SANSA	38.45
6	Arwal	Arwal	BHADACI PANCHAYAT	36.35
7	Aurangabad	Daudnagar	SHAMSHERNAGAR	36.18
8	Bhojpur	Jagdishpur	PARASIYA	35.83
9	Lakhisarai	Ramgarh Chowk	SUPARI IMAM NAGAR	34.26
10	Aurangabad	Rafiganj	BAUR	34.17
11	Lakhisarai	Ramgarh Chowk	SHARMA	33.4
12	Banka	Rajaun	KHAIRA	32.86
13	Arwal	Kurtha	NIDHWAN ANCHAYAT	32
14	KAIMUR	Rampur	BARKAGAWAN	31.45
15	Aurangabad	Obra	KARSAWAN	30.54

इसी प्रकार अब तक निम्न समितियों द्वारा कुल अधिप्राप्त धान के समतुल्य 25% से भी कम चावल (CMR) आपूर्ति किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	चावल आपूर्ति का प्रतिशत
1	Nawada	Akbarpur	BUDHUWA	13.08%
2	Bhojpur	Tarari	DEO	15.66%
3	Lakhisarai	Chanan*	MALIA	16.39%
4	Buxar	Itarhi	CHILHAR	17.03%
5	Nalanda	Ben	EKSARA	18.86%

200

(13)

6	Buxar	Rajpur	BANNI	19.94%
7	Bhojpur	Jagdishpur	SIYARUWA	21.31%
8	Rohtas	Karakat	SONBARSA	21.44%
9	Gaya	Bodh Gaya	MOCHARIM	22.10%
10	Khagaria	Beldaur	BELDOUR	22.45%
11	Nawada	Nawada	NONOURA (KURMA)	23.40%
12	Bhojpur	Jagdishpur	PARASIYA	23.49%
13	Lakhisarai	Ramgarh Chowk	SURARI IMAM NAGAR	24.31%
14	Katihar	Manihari	KUMARI PUR	24.74%

विदित हो कि अधिप्राप्ति कार्य में सरकार की बड़ी राशि सन्निहित है। उक्त राशि की ससमय वापसी के दृष्टिगत निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर किया जाना अपेक्षित है। विदित हो कि दिनांक 21.05.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विभागीय बैठक में चावल (CMR) आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में भी निर्धारित तिथि तक चावल (CMR) की आपूर्ति करने का निदेश दिया गया है। इसलिए आवश्यक है कि अवशेष दिनों हेतु कार्ययोजना बनाकर समितियों द्वारा शत-प्रतिशत चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।

अतः जिलावार सूची संलग्न करते हुए निदेश है कि इन समितियों की सतत् कार्ययोजना बनाकर चावल (CMR) आपूर्ति में वांछित प्रगति लाना सुनिश्चित कराया जाए। यदि एक सप्ताह के अन्दर संलग्न सूची में सम्मिलित समितियों द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति में वांछित प्रगति नहीं लाया जाता है, तो संबंधित समितियों एवं दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सह कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, वांछित प्रगति नहीं होने पर आपके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(इनायत खान) 27/05
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4618 /पटना, दिनांक 27.05.2025.

प्रतिलिपि :-सभी नोडल पदाधिकारी (अधिप्राप्ति)/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4618 /पटना, दिनांक 27.05.2025.

प्रतिलिपि :-सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। (12)

पत्रांक 2577 / पटना, दिनांक 19.03.2025

प4 / नि. अधि. (धान / चावल 2024-25 विविध)- 11 / 2024

प्रेषक,

इनायत खान भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
मोतिहारी, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, समस्तीपुर,
सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, रोहतास,
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर एवं बेतिया।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत Acceptance Order निर्गत होने के बावजूद चावल (CMR) में वांछित प्रगति नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4501 दिनांक 09.10.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत कुल अधिप्राप्त धान 39.23 लाख मे.टन के विरुद्ध लगभग 26.61 लाख मे.टन चावल (CMR) के आलोक में मार्च माह तक 15.97 लाख मे.टन (60%) चावल (CMR) की आपूर्ति किया जाना है। दिनांक 18.03.2025 के प्रतिवेदनानुसार अबतक मात्र 11.42 लाख मे.टन (43%) चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की गई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित जिलों में Acceptance Order निर्गत होने के बावजूद भी चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं की गई है :-

क्र.सं.	अवधि	Acceptance Order की संख्या	अधिक संख्या में Acceptance Order लंबित वाले जिले
1	40 से अधिक दिन	38	मोतिहारी-4, गोपालगंज-3, खगड़िया-4, समस्तीपुर-7, सीतामढ़ी-11
2	31-30 दिन	110	भागलपुर-09, दरभंगा-14, कटिहार-09, खगड़िया-18, मधेपुरा-06, पूर्णिया-05, रोहतास-05, समस्तीपुर-12, सीतामढ़ी-06
3	26-30 दिन	50	बेगूसराय-19, भागलपुर-07, [illegible] सीतामढ़ी-09
4	16-25 दिन	98	भागलपुर-09, खगड़िया-03, मुजफ्फरपुर-[illegible] पूर्णिया-14, सहरसा-05, शिवहर-09, बेतिया-[illegible]

Acceptance Order निर्गत होने के 15 दिन से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद भी राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) आपूर्ति नहीं किया जाना आपके कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

अतः जिलावार लंबित Acceptance Order संलग्न करते हुए निदेश है कि इस संबंध में दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए समितिवार दैनिक समीक्षा कर अविलंब राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(इनायत खान)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सहकारिता विभाग।

पत्रांक— 3137 /पटना, दिनांक 07/04/2025
04/नि. अधि. (धान/चावल 2024-25 विविध)-11/2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सीतामढ़ी, खगड़िया, बेगूसराय,
रोहतास, वैशाली, कैमूर, मधुबनी, शिवहर,
पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं सारण।

विषय :— खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत Acceptance Order निर्गत होने के बावजूद चावल (CMR) आपूर्ति में विलम्ब होने के संबंध में।

प्रसंग :— विभागीय पत्रांक-2571 दिनांक-19.03.2025 एवं पत्रांक-3009 दिनांक-01.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण किया जाय। उक्त के माध्यम से Acceptance Order निर्गत होने के उपरांत ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित जिलों में अधिक दिनों से Acceptance Order निर्गत होने के बावजूद भी चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं की गई है :—

क्र.सं.	अवधि	Acceptance Order की संख्या	अधिक संख्या में Acceptance Order लंबित वाले जिले
1.	41 से अधिक दिनों से	50	सीतामढ़ी-04, खगड़िया-17, शिवहर-10
2.	31-40 दिनों	32	बेगूसराय-3, रोहतास-3, सीतामढ़ी-5 वैशाली-03
3.	26-30 दिन	62	कैमूर-13, मधुबनी-5, शिवहर-06, सीतामढ़ी -5
4.	16-25 दिन	221	पूर्वी चम्पारण-15, मुजफ्फरपुर-22, पूर्णिया-14, सारण-41
5.	8-15 दिन	574	बेगूसराय-40, पूर्वी चम्पारण-45, मुजफ्फरपुर-30

Acceptance Order निर्गत होने के 15 दिन से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) की आपूर्ति नहीं होना कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः जिलावार लंबित Acceptance Order की सूची संलग्न करते हुए निदेश है कि उपरोक्त के संबंध में दो दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, समितिवार निर्गत Acceptance Order का दैनिक समीक्षा करते हुए राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 3137 /पटना, दिनांक 07/04/2025

प्रतिलिपि — संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 3603 /पटना, दिनांक 24.04.2025

[illegible]

प्रेषक,

इनायत खान, भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, दरभंगा,
जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर,
नालन्दा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सिवान एवं वैशाली।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत चावल (CMR) आपूर्ति में वांछित प्रगति नहीं होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत अधिप्राप्त धान के समतुल्य 28.63 लाख मे0टन चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को 15 जून 2025 तक किया जाना है। दिनांक 24.04.2025 के प्रतिवेदनानुसार अब तक 18.29 लाख मे0टन (61.18%) चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की गई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके जिले में राज्य औसत से काफी कम चावल (CMR) की आपूर्ति की गई है, जिसका प्रतिकूल असर राज्य की औसत उपलब्धि पर पड़ रहा है।

विदित हो कि विभिन्न समीक्षा बैठकों एवं विभागीय पत्रों के माध्यम से राज्य खाद्य निगम को ससमय मासिक लक्ष्य के अनुरूप चावल (CMR) की आपूर्ति करने हेतु आवश्यक निदेश संसूचित किया गया है। फिर भी आपके जिले में चावल (CMR) की आपूर्ति में राज्य औसत के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं होना एक गंभीर मामला है। ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति नहीं होने से समितियों को कैश-क्रेडिट ऋण पर अतिरिक्त ब्याज का वहन करना पड़ेगा।

अतः निदेश है कि आपके जिले में समितियों द्वारा किये जाने वाले संभावित चावल (CMR) की आपूर्ति के संबंध में एक सप्ताह का कार्ययोजना बनाकर इस कार्यालय को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उक्त योजना के अनुसार चावल आपूर्ति में दैनिक प्रगति सुनिश्चित की जाए।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(इनायत खान)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3603 /पटना, दिनांक 24.04.2025

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक ...3953.................../पटना, दिनांक ...07.05.2025

04/ नि. अनि. (धान / चावल 2024–25 विविध)–11/2024

प्रेषक,

इनायत खान भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
नालन्दा, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, पटना, मुजफ्फरपुर,
वैशाली, गया, सारण, मधेपुरा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर,
किशनगंज, बांका, सहरसा, जहानाबाद।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत Truck Challan निर्गत होने के बावजूद समितियों द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति में विलम्ब के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य खाद्य निगम द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति हेतु Acceptance Order निर्गत होने के पश्चात ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समितियों द्वारा Acceptance Order निर्गत होने के उपरान्त चावल (CMR) आपूर्ति हेतु निर्गत Truck Challan का अनुमोदन के उपरान्त भी कई दिनों तक चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं किया जा रहा है, जो गंभीर विषय है।

निम्नांकित जिलों में अधिक दिनों से Truck Challan निर्गत/अनुमोदित होने के बावजूद भी समितियों द्वारा चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं की गई है :–

क्र. सं.	अवधि	Truck Challan की संख्या	अधिक संख्या में Truck Challan लंबित वाले जिले
1.	05 से अधिक दिनों से	86	नालन्दा–8, औरंगाबाद–7, पूर्वी चम्पारण–7, पटना–7, मुजफ्फरपुर–5 एवं वैशाली–8
2.	04 दिनों से	38	नालन्दा–6, गया–4, पटना–4, सारण–3 एवं मधेपुरा–3
3.	03 दिनों से	74	नालन्दा–6, भोजपुर–10, रोहतास–7, गया–8, कैमूर–6 एवं किशनगंज–6
4.	02 दिनों से	114	नालन्दा–17, भोजपुर–14, बांका–18, सहरसा–6 एवं जहानाबाद–5
5.	01 दिनों से	290	भोजपुर–17, औरंगाबाद–15, रोहतास–19, बांका–14, गया–16, सारण–14 एवं पूर्वी चम्पारण–14

अतः जिलावार लंबित Truck Challan की सूची संलग्न करते हुए निदेश है कि समितिवार निर्गत Acceptance Order के विरूद्ध अनुमोदित Truck Challan का दैनिक समीक्षा करते हुए राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।

विश्वासभाजन

(इनायत खान)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ज्ञापांक ....3953..../पटना, दिनांक 07.05.2025

प्रतिलिपि :– सभी शेष जिला सहकारिता पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 3953 /पटना, दिनांक 07.05.2025

04/नि. अधि. (धान/चावल 2024-25 विविध)-11/2021

प्रेषक,

इनायत खान भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
नालन्दा, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, पटना, मुजफ्फरपुर,
वैशाली, गया, सारण, मधेपुरा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर,
किशनगंज, बांका, सहरसा, जहानाबाद।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत Truck Challan निर्गत होने के बावजूद समितियों द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति में विलम्ब के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य खाद्य निगम द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति हेतु Acceptance Order निर्गत होने के पश्चात ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समितियों द्वारा Acceptance Order निर्गत होने के उपरान्त चावल (CMR) आपूर्ति हेतु निर्गत Truck Challan का अनुमोदन के उपरान्त भी कई दिनों तक चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं किया जा रहा है, जो गंभीर विषय है।

निम्नांकित जिलों में अधिक दिनों से Truck Challan निर्गत/अनुमोदित होने के बावजूद भी समितियों द्वारा चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं की गई है :–

क्र. सं.	अवधि	Truck Challan की संख्या	अधिक संख्या में Truck Challan लंबित वाले जिले
1.	05 से अधिक दिनों से	86	नालन्दा–8, औरंगाबाद–7, पूर्वी चम्पारण–7, पटना–7, मुजफ्फरपुर–5 एवं वैशाली–8
2.	04 दिनों से	38	नालन्दा–6, गया–4, पटना–4, सारण–3 एवं मधेपुरा–3
3.	03 दिनों से	54	नालन्दा–6, भोजपुर–10, रोहतास–7, गया–6, कैमूर–6 एवं किशनगंज–6
4.	02 दिनों से	114	नालन्दा–17, भोजपुर–14, बांका–13, सहरसा–8 एवं जहानाबाद–5
5.	01 दिनों से	290	भोजपुर–17, औरंगाबाद–15, रोहतास–19, बांका–14, गया–15, सारण–14 एवं पूर्वी चम्पारण–14

अतः जिलावार लंबित Truck Challan की सूची संलग्न करते हुए निदेश है कि समितिवार निर्गत Acceptance Order के विरूद्ध अनुमोदित Truck Challan का दैनिक समीक्षा करते हुए राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

(इनायत खान)
निबंधक
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3953 /पटना, दिनांक 07.05.2025

प्रतिलिपि :– सभी शेष जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक

(7)

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 4064 /पटना, दिनांक 09.05.2025

04/नि. अधि. (धान/चावल 2024-25 विविध)-11/2024

प्रेषक,

इनायत खान भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत Acceptance Order एवं Truck Challan निर्गत होने के बावजूद समितियों द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति में विलम्ब के संबंध में।

प्रसंग :– कार्यालय पत्रांक 3953 दिनांक 07.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाय। उक्त पत्र के माध्यम से राज्य खाद्य निगम द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति हेतु Acceptance Order निर्गत होने एवं Truck Challan निर्गत/अनुमोदित होने के पश्चात ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्यान्तर्गत कुल 2348 Acceptance Order निर्गत होने के बाद चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु लम्बित है। जिसमें से 722 लॉट Truck Challan generate होने के उपरान्त चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नही की गई है। साथ ही, राज्य खाद्य निगम को ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति नही किये जाने के कारण 1233 Acceptance Order suspend हो गया है, जिसमें से 776 लॉट Acceptance Order को पुनः generate किया गया है। यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है।

अतः जिलावार लंबित प्रतिवेदन संलग्न करते हुए निदेश है कि समितिवार निर्गत Acceptance Order एवं Truck Challan के आलोक में तीन दिनों के अन्दर राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। ससमय चावल (CMR) जमा नहीं होने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

(इनायत खान)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4064 /पटना, दिनांक 09.05.2025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 4064 / पटना, दिनांक 09.05.2025 (1)

04/नि. अधि (धान/चावल 2024-25 (विविध)-11/2024

प्रेषक,

इनायत खान भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत Acceptance Order एवं Truck Challan निर्गत होने के बावजूद समितियों द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति में विलम्ब के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक 3953 दिनांक 07.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाय। उक्त पत्र के माध्यम से राज्य खाद्य निगम द्वारा चावल (CMR) आपूर्ति हेतु Acceptance Order निर्गत होने एवं Truck Challan निर्गत/अनुमोदित होने के पश्चात ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्यान्तर्गत कुल 2348 Acceptance Order निर्गत होने के बाद चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु लम्बित है। जिसमें से 722 लॉट Truck Challan generate होने के उपरान्त चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नही की गई है। साथ ही, राज्य खाद्य निगम को ससमय चावल (CMR) की आपूर्ति नही किये जाने के कारण 1233 Acceptance Order suspend हो गया है, जिसमें से 776 लॉट Acceptance Order को पुनः generate किया गया है। यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है।

अतः जिलावार लंबित प्रतिवेदन संलग्न करते हुए निदेश है कि समितिवार निर्गत Acceptance Order एवं Truck Challan के आलोक में तीन दिनों के अन्दर राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। ससमय चावल (CMR) जमा नही होने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक-यथोक्त।

(इनायत खान)
निबंधक
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4064 / पटना, दिनांक 09.05.2025

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 4783 /पटना, दिनांक 03.06.2025
04/नि० अधि० (धान/चावल 2024–25 विविध)–10/2024

प्रेषक,

अंशुल अग्रवाल, भा०प्र०से०,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सिवान, अरवल, शिवहर, नवादा, वैशाली, औरंगाबाद,
लखीसराय, सारण, शेखपुरा, नालन्दा, दरभंगा, खगड़िया,
जमुई, अररिया, कटिहार, भोजपुर, मुंगेर एवं जहानाबाद।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत चावल (CMR) आपूर्ति में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नही होने के कारण स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत अधिप्राप्त धान के समतुल्य 26.63 लाख मे0टन चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को 15 जून 2025 तक किया जाना है। दिनांक 03.06.2025 के प्रतिवेदनानुसार अब तक 20.62 लाख मे0टन (77.47%) चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की गई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके जिले में राज्य औसत से काफी कम चावल (CMR) की आपूर्ति की गई है, जिसका प्रतिकूल असर राज्य की औसत उपलब्धि पर पड़ रहा है।

विदित हो कि विभिन्न समीक्षा बैठकों एवं विभागीय पत्रों के माध्यम से राज्य खाद्य निगम को ससमय शत्प्रतिशत चावल (CMR) की आपूर्ति करने हेतु आवश्यक निदेश संसूचित किया गया है। फिर भी आपके जिले में चावल (CMR) की आपूर्ति में राज्य औसत के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं होना आपके कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

अतः लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नही होने के संबंध में तीन दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधितों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत शत्प्रतिशत चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को कराना सुनिश्चित किया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

3/6/25
(अंशुल अग्रवाल)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4783 /पटना, दिनांक 03.06.2025

प्रतिलिपि :– सभी नोडल पदाधिकारी (अधिप्राप्ति)/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/25
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

(9) (218

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 5819 /पटना, दिनांक 04/07/2025

04/नि॰ अधि॰ (धान/चावल 2024–25)–10/2024

प्रेषक,

अंशुल अग्रवाल भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
दरभंगा, मधेपुरा, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण,
वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, नालन्दा, अररिया, पटना।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत अधिप्राप्त धान के समतुल्य शतप्रतिशत चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर कराने के संबंध में।

प्रसंग :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4501 दिनांक–09.10.2024 एवं पत्रांक–1267 दिनांक–27.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत समितियों द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य दिनांक 15.06.2025 तक चावल (CMR) आपूर्ति के उपरान्त अवशेष धान का भौतिक सत्यापन राज्य सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम के नामित पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने के उपरान्त संकलित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है। उक्त क्रम में पाया गया कि आपके जिलों में सत्यापन के क्रम में जाँच दल द्वारा समिति का गोदाम बन्द पाया गया, धान की मात्रा कम पाई गई, अग्रिम चावल (CMR) के समानुपातिक धान से अधिक धान का हस्तान्तरण राईस मिलों को किया गया प्रतिवेदित किया गया है, जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना स्तर से निर्गत कार्ययोजना एवं मार्गदर्शिका के अनुकूल नही है। यह कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि ऐसी समितियों/संबंधित प्रभारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

4/7/25
(अंशुल अग्रवाल)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5819 /पटना, दिनांक 04/07/2025

प्रतिलिपि :–सभी नोडल पदाधिकारी (अधिप्राप्ति)/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

4/7/25

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

पत्रांक 6166 /पटना, दिनांक 15.07.202

04/नि. अधि. (धान/चावल 2024–25 विविध)–10/2024

प्रेषक,

अंशुल अग्रवाल भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, अररिया,
सिवान, बांका, नालन्दा, सारण, भोजपुर एवं औरंगाबाद।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत सम्बद्ध राईस मिलों से अग्रिम च (CMR) प्राप्ति के उपरान्त राईस मिल को धान हस्तान्तरण करने के संबंध में

प्रसंग :– कार्यालय पत्रांक 1137 दिनांक 04.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण किया जाय। उक्त के माध्यम से र विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत अधिप्राप्त धान की मिलिंग हेतु सम्बद्ध राईस मिलों से अग्रिम च (CMR) प्राप्ति के उपरान्त राईस मिल को समानुपातिक धान की आपूर्ति ससमय किये जाने का f दिया गया है। दिनांक 15.07.2025 को धान/चावल अधिप्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि उ जिला अन्तर्गत सम्बद्ध राईस मिलों से अग्रिम चावल (CMR) प्राप्ति के उपरान्त राईस मिल समानुपातिक धान की आपूर्ति नही किये जाने के कारण चावल (CMR) की बड़ी राशि निगम भुगतान हेतु लम्बित है। समतुल्य धान का ससमय हस्तान्तरण में विलम्ब भौतिक रूप से धान अनुपलब्धता एवं अनियमितता के साथ–साथ कार्य के प्रति आपके उदासीन रवैया एवं लापरवाही दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिि किया जाए। साथ ही, अद्यतन स्थिति इस पत्र के साथ संलग्न कर निदेश दिया जाता है कि सं सूची के अनुसार चावल (CMR) आपूर्ति के उपरान्त संबंधित समितियों द्वारा मिलों को समानुपा धान की मात्रा का हस्तान्तरण शीघ्र कराना सुनिश्चित कराई जाए एवं अनियमितता पाए जाने नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

15/7/25
(अंशुल अग्रवाल)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक 6166 /पटना, दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपि :–सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी शेष जिला सहकारिता पदाधिकारी/र प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषि

15/7/25
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक 6166 /पटना, दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पट को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/25
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग।

पत्रांक– 2393 /पटना, दिनांक 11.03.2025
04/नि. अधि. (धान/चावल 2024–25 विविध)–11/2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
कैमूर।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल (CMR) आपूर्ति में पैक्स मिलों द्वारा अरवा चावल की आपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 5406 दिनांक 18.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत कैमूर जिले में कुल अधिप्राप्त धान 207868.97 मे.टन के विरूद्ध लगभग 141089.57 मे.टन चावल (CMR) की आपूर्ति दिनांक 15.06.2025 तक राज्य खाद्य निगम को किया जाना है। उक्त में कुल 32003.92 मे.टन अरवा चावल राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किया जाना है। दिनांक 11.03.2025 के प्रतिवेदनानुसार 61905.03 मे.टन (43.88%) चावल (CMR) की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की गई है, जिसमे अरवा चावल 19038.72 मे.टन है। जिलान्तर्गत कुल 19 पैक्स अरवा राईस मिल क्रियाशील है, जिनसे 22 समितियों को सम्बद्ध किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अधिकांश मिलों से 1 समिति को ही सम्बद्ध किया गया है। इससे जिले हेतु निर्धारित अरवा चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किये जाने में कठिनाई होगी।

अतः निदेश है कि उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाय कि जिला अन्तर्गत अवस्थित पैक्स अरवा राईस मिलों से किस प्रकार लक्ष्य के अनुरूप अरवा चावल की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को निर्धारित अवधि अन्तर्गत की जाएगी। साथ ही आवश्यकतानुसार पैक्स राईस मिलों से उनकी मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए अन्य समितियों को भी सम्बद्ध करते हुए लक्ष्य के अनुरूप अरवा चावल (CMR) के साथ–साथ कुल समतुल्य चावल (CMR) राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव।

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 1635 /पटना, दिनांक 20-02-2025

[illegible] 2024-25 (विविध)-11/2024

प्रेषक

इनायत खान, भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल (CMR) की आपूर्ति के संबंध में।

प्रसंग :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4501 दिनांक 09.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में समितियों (पैक्स / व्यापार मंडल) के माध्यम से संचालित धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15.02.2025 तक 45 लाख मे.टन लक्ष्य के विरुद्ध 39.22 लाख मे.टन धान की अधिप्राप्ति की गई है, जिसके समतुल्य 26.61 लाख मे.टन चावल (CMR) 15 जून 2025 तक राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किया जाना है। राज्य खाद्य निगम को समय चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु जिलावार एवं माहवार लक्ष्य अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। साथ ही, माह फरवरी, 2025 तक चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु जिलावार एवं माहवार दैनिक लक्ष्य अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

अतः निदेश है कि उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार राज्य खाद्य निगम को चावल (CMR) की आपूर्ति हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाकर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए फरवरी माह में [illegible] दिनों के अनुसार धान अधिप्राप्ति के समतुल्य चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक-यथोक्त।

(इनायत खान)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1635 पटना / दिनांक 20.02.2025

प्रतिलिपि :- सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि गहन अनुश्रवण करते हुए राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल (CMR) की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1635 पटना / दिनांक 20.02.2025

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।